

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders as necessary
07/11/16	<p>परिवारी अनुपस्थित/ परिवारी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं/ परिवारी एवं उसके अधिवक्ता की व्याख्यालय कक्ष के बाहर बार-बार पुकार लगावाई गई परंतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।</p> <p>पुकारण आज आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है/ परिवारी द्वारा तलवना न दिए जाने के कारण आरोपी को सम्मन जारी नहीं किया जा सका है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से दृष्टि है कि परिवारी द्वारा कभी भी तलवना प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण आज दिनांक तक आरोपी को सम्मन जारी नहीं किया जा सका है। परिवारी कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहा है/ न ही परिवारी के पक्ष समर्थन में कोई अधिवक्ता उपस्थित हो रहे हैं। परिवारी द्वारा तलवना भी नहीं दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवारी अपने परिवार को चलाने का इच्छुक नहीं है। परंतु परिवार सम्मन विलक्षण की प्रक्रिया से विचारणीय है एवं ^{शामना} विचारणीय प्रकाश का है। अतः परंतु परिवार परिवारी को अनुपस्थिति में दंड.सं.</p>	

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>की धारा 256 के अंतर्गत निरस्त किया जाता है।</p> <p>आरोपी की परिक्रम में लिखित अधिविवरण की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>पुकरण का परिणाम दर्ज कर पुकरण अभिलेखधार भेजा जावे।</p> <p>प्रतिष्ठित अतिरिक्त न्यायिक माहिर प्रथम श्री गोहद जिला- निण्ड (म.प.)</p>	